बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक : बु0वि0 / प0नि0का0 / 2026 / 8176 दिनांक : 19 / 08 / 2026

संशोधित

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय /
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

विषय— रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु छात्राओं के अभिलेख / विवरण उपलब्ध कराए जाने विषयक।

महोदय / महोदया,

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासन द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत सत्र 2025–26 की स्नातक स्तर (ऐसे स्नातक पाठ्यक्रम जिनकी अहर्ता इंटर है) की विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 5 प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी वितरित किया जाना है। उक्त विषय में पूर्व में निर्गत पत्र में 10 प्रतिशत छात्राओं की सूची संलग्न की गई थी। क्योंकि स्कूटी वितरण हेतु अर्ह छात्राओं का उ0प्र0 का मूल निवासी होना तथा वार्षिक आय रु0 12,00,000 / — से अधिक न होना निर्धारित है। अतः अर्ह छात्राओं के मूल निवास अथवा आय की पात्रता पूरी न कर पाने की स्थिति में सूची में उक्त छात्रा से कम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को भी सम्मिलित किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत् बार–बार अभिलेख मंगाने से प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए अधिक छात्राओं की सूची प्रेषित की गई थी। यह भी अवगत कराना है कि उक्त योजना में 5 प्रतिशत सर्वोच्च प्राप्तांकधारी छात्राओं के साथ ही उ0प्र0 के मूल निवासी दिव्यांग तथा निराश्रित छात्राओं को भी योजना से लाभान्वित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। **"दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो"** तथा **"निराश्रित छात्राओं से तात्पर्य ऐसी छात्राओं से होगा जिनके माता–पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गयी हो तथा परिवार में भरण–पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो"।**

उक्त हेतु आपके विभाग / महाविद्यालय की सत्र 2025–26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली ऐसी पात्र छात्राएं, जो उपर्युक्त श्रेणी में आती हैं, का विवरण निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं सही रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विभाग / महाविद्यालय स्तर पर यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना पूर्णतः सत्यापित एवं प्रमाणित हो तथा किसी भी अपात्र छात्रा का नाम सम्मिलित न किया जाए (पात्रता की जाँच हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर व राशनकार्ड आदि का उपयोग किया जा सकता है) :—

अत्एव संलग्न प्रारूप में उल्लिखित छात्राओं के सम्बन्ध में आदेशानुसार निम्नांकित विवरण / अभिलेखों की जाँच करते हुए निर्धारित प्रारूप (एक्सेल फाइल) में पूर्ण विवरण पूरित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:—

1. छात्रा का आधार नम्बर तथा अपार आई0डी0 (ABC ID) सही एवं पूर्ण रूप से अंकित किया जाए।
2. छात्रा के परिवार की वार्षिक आय रु0 12,00,000 / — (रुपये बारह लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. छात्रा के आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate Number) का क्रमांक एवं तिथि का भी उल्लेख यथा स्थान किया जाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अद्यतन मान्य हो।
4. छात्रा के उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र जिसका क्रमांक एवं तिथि का भी उल्लेख यथा स्थान किया जाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अद्यतन मान्य हो।

अतः आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रारूप में सम्बन्धित छात्राओं (जहाँ से छात्रा ने स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है) के उपर्युक्त विवरण पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की ई–मेलः exam@bujhansi.ac.in पर 03 (तीन) दिवस में अनिवार्य रूप से एक्सेल फाइल फॉर्मेट में प्रारूपवार उपलब्ध करा दें, जिससे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु अग्रेतर कार्यवाही समयान्तर्गत की जा सके। अन्यथा की स्थिति में किसी पात्र छात्रा के योजना से वंचित रहने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय एवं विभाग का होगा। पूर्व में निर्गत पत्र के क्रम में जिन महाविद्यालयों द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है उन्हें प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है यदि पूर्व में प्रेषित सूची में कोई संशोधन वांछित है तो पुनः प्रेषित करें। यह भी कि यदि महाविद्यालय एवं विभाग में उपरोक्त श्रेणी में कोई दिव्यांग अथवा निराश्रित अर्ह छात्रा हो तो उक्त की सूची संलग्न प्रारूपवार पुनः प्रेषित करें।

इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत पत्र संख्या— बु0वि0 / प0नि0का0 / 2026 / 8168, दिनांक— 14 / 08 / 2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नक — यथोक्त

(राजबहादुर)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपकुलसचिव (गोपनीय / वित्त)।
2. कुलपति के निजी सचिव को, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. आशुलिपिक, कुलसचिव / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।

परीक्षा नियंत्रक

Office Order 2026

Scanned with OKEN Scanner

निराश्रित छात्राओं हेतु प्रारूप – 1

Sr	course Name	College Code	college Name	Candidate Name	Father name	Roll Number	Enrollment No	DOB	Per%	ABC/APAAR_ID Student	Aadhaar No	Annual Income should not be more than Rs 1200000/-	Annual Income Certificate Number	Annual Income Certificate date of Issue	Domicile State	Domicile Certificate Number	Domicile Certificate Issue Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांग छात्राओं हेतु प्रारूप – 2

Sr	course Name	College Code	college Name	Candidate Name	Father name	Roll Number	Enrollment No	DOB	Per%	ABC/APAAR_ID Student	Aadhaar No	Annual Income should not be more than Rs 1200000/-	Annual Income Certificate Number	Annual Income Certificate date of Issue	Domicile State	Domicile Certificate Number	Domicile Certificate Issue Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Scanned with OKEN Scanner